बिहार सरकार – 1016(6)
स्वास्थ्य विभाग 06/11/2017

महत्वपूर्ण सूचना

राज्य के निजी क्षेत्र में संचालित सभी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थानों में कार्यरत सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों का वेतन भुगतान माह मई 2017 से उनके बैंक खातो के माध्यम से किया ज़ाना एवं बैंक खातो को आधार संख्या से भी जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में पूर्व निर्गत विभाग पत्रांक–362(6), दिनांक–19.04.2017 के माध्यम से पूर्व में ही पत्र निर्गत कर विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जा चुका है, जिसका अवलोकन विभागीय बेवसाईट पर किया जा सकता है।

2 – सभी मान्यता प्राप्त ए0एन0एम0 प्रशिक्षण विद्यालय जो आगामी सत्र 2018–19 के लिए मान्यता अवधि में विस्तार हेतु इच्छुक हैं, ऐसे सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के अन्तर्गत कार्यरत सभी शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मियों का वेतन भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किये जाने एवं उन सभी का आधार संख्या से संबंधित साक्ष्य वर्तमान सूचना प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

3 – ऐसे संस्थान जो उक्त वांछित साक्ष्य निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें विधिवत संचालित नहीं मानते हुए उनके अवधि विस्तार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा।

6/11/17

(शंकर प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 1016(6) पटना, दिनांक 06/11/2017

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त सूचना को विभागीय बेवसाईट पर अविलंब अपलोड किया जाय।

6/11/17

विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार - 1016(6)
स्वास्थ्य विभाग 06/11/2017

महत्वपूर्ण सूचना

राज्य के निजी क्षेत्र में संचालित सभी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थानों में कार्यरत सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों का वेतन भुगतान माह मई 2017 से उनके बैंक खातो के माध्यम से किया जाना एवं बैंक खातो को आधार संख्या से भी जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में पूर्व निर्गत विभाग पत्रांक–362(6), दिनांक–19.04.2017 के माध्यम से पूर्व में ही पत्र निर्गत कर विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जा चुका है, जिसका अवलोकन विभागीय बेवसाईट पर किया जा सकता है।

2 – सभी मान्यता प्राप्त ए0एन0एम0 प्रशिक्षण विद्यालय जो आगामी सत्र 2018–19 के लिए मान्यता अवधि में विस्तार हेतु इच्छुक हैं, ऐसे सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के अन्तर्गत कार्यरत सभी शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मियों का वेतन भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किये जाने एवं उन सभी का आधार संख्या से संबंधित साक्ष्य वर्तमान सूचना प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

3 – ऐसे संस्थान जो उक्त वांछित साक्ष्य निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें विधिवत संचालित नहीं मानते हुए उनके अवधि विस्तार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा।

6/11/17
(शंकर प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना